

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग 1—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 232] नई दिल्ली मंगलवार, दिसम्बर 10, 1968/अग्रहायण 19, 1890

No. 232] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 10, 1968/AGRAHAYANA 19, 1890

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF IRRIGATION AND POWER

RESOLUTION

New Delhi, the 10th December 1968

No. 22/7/66-DW.I.—In partial modification of this Ministry's Resolution No. DW. III-26(4)/58, dated the 19th December, 1958, it has been decided to re-constitute the 'Committee of Direction' and the 'Rajasthan Canal Board', which will henceforth consist of:—

(i) *Committee of Direction*

1. Union Minister of Irrigation and Power;
2. Chief Minister, Rajasthan; and
3. Minister of State, Union Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation.

The Committee will be presided over by the Union Minister of Irrigation and Power and in his absence by the Chief Minister of Rajasthan. The Chairman of the Rajasthan Canal Board will act as Secretary to the Committee.

(ii) *Rajasthan Canal Board*

1. Chairman, Rajasthan Canal Board;
2. Chairman, Central Water and Power Commission or his nominee;
3. Joint Secretary, Union Ministry of Finance (or an officer deputed by him to attend any particular meeting);
4. Joint Secretary, Union Ministry of Irrigation and Power (or an officer deputed by him to attend any particular meeting);

5. Joint Secretary, Union Ministry of Food, Agriculture, C.D. and Co-operation, (or an officer deputed by him to attend any particular meeting);
6. Secretary to the Government of Rajasthan, Finance Department,
7. Chief Engineer in charge of the Project in Rajasthan; and
8. Colonisation Commissioner

2. It has also been decided to constitute two Committees i.e. (i) the "Committee of Chief Ministers" and (ii) the "Committee of Secretaries" to deal with the problems connected with the re-settlement of the oustees of Himachal Pradesh, Punjab and Haryana in the Rajasthan Canal area. The constitution of these two Committees will be as follows:—

(i) *Committee of Chief Ministers*—

1. Union Minister of Irrigation and Power;
2. Governor of Punjab or his representative;
3. Chief Minister, Rajasthan or his representative;
4. Chief Minister, Haryana or his representative; and
5. Chief Minister, Himachal Pradesh or his representative.

The Committee of Chief Ministers will be presided over by the Union Minister of Irrigation and Power and in his absence by the Chief Minister, Rajasthan. Deputy Secretary concerned in the Union Ministry of Irrigation and Power will act as Secretary to the Committee.

(ii) *Committee of Secretaries*—

1. Secretary, Union Ministry of Irrigation and Power;
2. Secretary, Union Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation;
3. Representative from the Planning Commission;
4. Representative from the Union Ministry of Finance;
5. Representative from the Union Ministry of Home Affairs;
6. Secretary concerned, Government of Rajasthan;
7. Secretary to Government of Rajasthan, Rajasthan Canal Project Deptt.;
8. Secretary concerned, Government of Punjab;
9. Secretary concerned, Government of Haryana;
10. Secretary concerned, Government of Himachal Pradesh;
11. Commissioner (Revenue) Government of Himachal Pradesh;
12. Colonisation Commissioner, Rajasthan; and
13. Deputy Commissioner (Relief & Rehabilitation), Beas Project.

The Committee of Secretaries will be presided over by the Secretary, Union Ministry of Irrigation and Power. Deputy Secretary concerned in the Union Ministry of Irrigation and Power will act as Secretary to the Committee.

The meetings of the above Committees shall be held once in every three months or at shorter intervals considered necessary.

ORDER

Ordered that this Resolution be communicated for information to the State Governments concerned and to the Ministries of Finance, Home Affairs and Food, Agriculture, Community Development and Co-operation and the Planning Commission.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India and that the State Governments concerned be requested to publish it in the State Gazette for general information.

K. P. BHATTARAI Secy

सिंचाई व बिजली मंत्रालय

सं. रूप

नई दिल्ली, 10 दिसम्बर, 1968

सं० 22/7/66 दि० ता० एतः—इस मंत्रालय के संकल्प सं० डी० डब्ल्यू-3-26(4)/58. दिनांक 19 दिसम्बर, 1958 का अंशतः संशोधन करने हुए, यह निर्णय किया गया है कि 'निर्देशन समिति' और राजस्थान नहर बोर्ड का पुनर्गठन किया जाए जिन में अब से निम्नलिखित व्यक्ति होंगे :—

(1) निर्देशन समिति :

1. केन्द्रीय सिंचाई व बिजली मंत्री ,
 2. मुख्य मंत्री, राजस्थान; और
 3. राज्यमंत्री, केन्द्रीय खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय ।
- समिति की अध्यक्षता केन्द्रीय सिंचाई व बिजली मंत्री द्वारा और उनकी अनुपस्थिति में राजस्थान के मुख्य मंत्री द्वारा की जाएगी । राजस्थान नहर बोर्ड के अध्यक्ष समिति के सचिव के रूप में कार्य करेंगे ।

(2) राजस्थान नहर बोर्ड :

1. अध्यक्ष, राजस्थान नहर बोर्ड;
 2. अध्यक्ष, केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग या उनके द्वारा नामजद कोई व्यक्ति;
 3. संयुक्त सचिव, केन्द्रीय वित्त मंत्रालय (या किसी बैठक विशेष में उपस्थित होने के लिये उनके द्वारा प्रतिनियुक्त कोई अधिकारी) ;
 4. संयुक्त सचिव, केन्द्रीय सिंचाई व बिजली मंत्रालय (या किसी बैठक विशेष में उपस्थित होने के लिये उनके द्वारा प्रतिनियुक्त कोई अधिकारी) ;
 5. संयुक्त सचिव, केन्द्रीय खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय (या किसी बैठक विशेष में उपस्थित होने के लिए उनके द्वारा प्रतिनियुक्त कोई अधिकारी);
 6. सचिव, राजस्थान सरकार, वित्त विभाग;
 7. राजस्थान में परियोजना के कार्यकारी मुख्य अभियंता; और
 8. उपनिवेशन आयुक्त ।
9. यह भी निर्णय किया गया है कि राजस्थान नहर क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा से विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास से संबंधित समस्याओं को सुलझाने के लिए दो समितियों, अर्थात् (1) 'मुख्य मंत्रियों की समिति' और (2) 'सचिवों की समिति' बनाई जाए ।

(1) मुख्य संशोधनों का अंशतः :-

1. केन्द्रीय सिंचाई व बिजली मंत्री ;

2. पंजाब के राज्यपाल या उनका प्रतिनिधि ;
3. मुख्य मंत्री राजस्थान या उनका प्रतिनिधि ;
4. मुख्य मंत्री, हरियाणा या उनका प्रतिनिधि ;
5. मुख्य मंत्री, हिमाचल प्रदेश या उनका प्रतिनिधि ;

समिति की अध्यक्षता केन्द्रीय सिचाई व बिजली मंत्री और उनकी अनुपस्थिति में राजस्थान के मुख्य मंत्री द्वारा की जाएगी। केन्द्रीय सिचाई व बिजली मंत्रालय में संबंधित उपसचिव समिति के सचिव के रूप में कार्य करेंगे।

(2) सचिवों की समिति :

1. सचिव, केन्द्रीय सिचाई व बिजली मंत्रालय ;
2. सचिव, केन्द्रीय खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय ;
3. योजना आयोग का प्रतिनिधि ;
4. केन्द्रीय वित्त मंत्रालय का प्रतिनिधि ;
5. केन्द्रीय गृह मंत्रालय का प्रतिनिधि ;
6. राजस्थान सरकार के सम्बन्धित सचिव ;
7. सचिव, राजस्थान सरकार, राजस्थान नहर परियोजना विभाग ;
8. पंजाब सरकार के सम्बन्धित सचिव ;
9. हरियाणा सरकार के सम्बन्धित सचिव ;
10. हिमाचल प्रदेश सरकार के सम्बन्धित सचिव ;
11. आयुक्त (राजस्व), हिमाचल प्रदेश सरकार ;
12. उपनिवेशन आयुक्त, राजस्थान ; और
13. उप-आयुक्त (सहायता एवं पुनर्वास), व्यास परियोजना।

सचिवों की समिति की अध्यक्षता केन्द्रीय सिचाई व बिजली मंत्रालय के सचिव करेंगे। केन्द्रीय सिचाई व बिजली मंत्रालय के सम्बन्धित उपसचिव समिति के सचिव के रूप में कार्य करेंगे।

उपर्युक्त समितियों की बैठकें, हर तीन मास में एक बार या जब कभी आवश्यक समझा जाए इस से भी थोड़ी अवधि के बाद, होंगी।

प्रवेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को संबंधित राज्य सरकारों और वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय और योजना आयोग, नई दिल्ली को सूचनार्थ प्रेषित कर दिया जाए।

यह आदेश भी दिया जाता है कि इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए और संबन्धित राज्य सरकारों से कहा जाए कि वे भी ग्राम सूचना के लिये राज्य के राजपत्रों में इसे प्रकाशित कर दें।

के० पी० मदनानी,
सचिव, भारत सरकार।